83

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

भारत पेट्रोलियम लि0 द्वारा जनपद फर्रूखाबाद में एटा–कायमगंज–फर्रूखाबाद मार्ग (एस0एच0–121) की दायी पटरी पर किमी0 नं0–100(730) के मध्य ग्राम–खारबन्दी भीकमपुर के खसरा सं0–659, 660क, 666ख में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में विकसित किये जा रहे पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 10.10.2021 को श्री संजय आनन्द टेरीटरी प्रबन्धक (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली,एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद के साथ किया गया।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नवत है–

1. पेट्रोल पम्प / डीजल रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु उपयोग में आने वाली मार्ग पटरी की भूमि संरक्षित वन घोषित है पहुंच एवं निकास मार्ग में प्रयोग की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0.059033 हे0 वनेत्तर कार्य हेतु लिया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थापना स्थल के प्रवेश एवं निकास निर्माण मार्ग में कोई बाधक वृक्ष नहीं है। उक्त प्रभावित पहुंच मार्ग निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित भूमि (मार्ग पटरी) के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है तथा आवेदित वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
3. प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
4. प्रस्तावित स्थल की जी0पी0एस0 रीडिंग $N27^{0}23'25.1''$ $E079^{0}33'29.5''$ है।
5. उक्त मार्ग की पटरी पर राजकीय वृक्ष खड़े हैं एवं समय–समय पर कराये गये वृक्षारोपण भी है। उक्त मार्ग पर पेट्रोल पम्प निर्माण के समय / उपरान्त किसी भी प्रकार से वृक्षों को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कम्पनी एवं ठेकेदार की होगी।

(संजय आनन्द)
टेरीटरी प्रबन्धक–(रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 बरेली
Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

10/10/21
(पी0के0उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फर्रूखाबाद